तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी0ए0/3522/2018/बूंदी जगदीश बनाम तस्वीद बाई व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.11.2021	**खण्डपीठ** **श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री रोहित सोनी, अधिवक्ता अपीलांट श्री अमित कसोटिया, अभिभाषक रेस्पो0 **निर्णय** यह अपील डिक्री अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा दिनांक 14.05.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया/रेस्पो0 1 ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बूंदी के समक्ष एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अधिकार घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती हेतू विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट्स प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। दावे व जबाव दावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुये परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2006 से वादीया का वाद डिक्री कर अपीलांट के नाम अंकित भूमि से आधा हिस्से की भूमि को भी वादिया के पक्ष में अंकित कर दी। इसके विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.05.2009 द्वारा अपील खारिज करते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को बहाल रखा गया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से ग्रसित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी0ए0/3522/2018/बूंदी जगदीश बनाम तस्वीद बाई व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वितीय अपील के राजस्व मण्डल में विचाराधीन रहते हुये प्रकरण में पक्षकारों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस राजीनामें पर सुनी गयी एवं पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। पक्षकारों के मध्य हुआ आपसी राजीनामा पत्रावली के साथ संलग्न है। पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड व प्रस्तुत राजीनामे का विवेचन व विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य उदघोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अनेक वर्षो से विचाराधीन चल रहा है। इस वाद में परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2006 से वादीया का वाद डिक्री कर अपीलांट के नाम अंकित भूमि से आधा हिस्से की भूमि को भी वादिया के पक्ष में अंकित कर दी। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.05.2009 द्वारा अपील खारिज करते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को बहाल रखा गया। विवादित भूमि के संबंध में इस प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये गये है। परन्तु अब इस द्वितीय अपील में उभयपक्ष के पक्षकारों ने उनके अभिभाषकगण की उपस्थिति में अति0 निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष दिनांक 22.10.2021 को उपस्थिति होकर अपसी राजीनामा प्रस्तुत कर तस्दीक करवाया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों के मध्य आपसी विवाद का यथाशीघ्र विधि अनुसार निस्तारण हो जावे। अब जबकि इस प्रकरण में पक्षकारों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है तो उनके आपसी विवाद का अंतिम रूप से समाधान हो अपेक्षित है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी0ए0/3522/2018/बूंदी जगदीश बनाम तस्वीद बाई व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उसके लिए हम यह उचित समझते है कि इस प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामे के द्वारा और संबंधित विधि के अनुसार परीक्षण न्यायालय में उभयपक्षों को आवश्यक सनुवाई का अवसर प्रदान करते हुये अंतिम डिक्री जारी होकर संबंधित राजस्व रिकार्ड में इसकी इजराय सुनिश्चित हो सके।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय क्रमशः परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.07.2006 व अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2009 अपास्त करते हुये प्रकरण मूल ही परीक्षण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित करते है कि वे पक्षकारों के मध्य मूल वाद का अंतिम निर्णय, प्रस्तुत राजीनामें और सभी संबंधित दस्तावेजात के आधार पर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये विधिसंगत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष परीक्षण न्यायायल सहायक कलेक्टर, कोटा के समक्ष दिनांक 25.11.2021 को उपस्थित होवे।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष